5. Secretary, Deptt. of Posts "
6. Secretary, Deptt. of Telecom "
7. Secretary, Deptt. of Health "
8. Secretary, Deptt. of Sc. & Tech. "
9. Member (Staff), Railway Board "
10. Dy. Comptroller & Auditor General of India "
11. Secretary, Ministry of Home Affairs "

(c) to (e) The Staff Side of the National Council of the Joint Consultative Machinery is consulted before appropriate decision are taken by the Government JCM represents interest of most Non-gazetted employees.

Legislation for unexplained money

2443. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have decided to bring forward a legislation relating to anti-black money law to make to mere possession of unexplained money which cannot be proved by the holder as having been earned via legitimate means, a punishable offence;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by when it is proposed to be enacted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) to (c) Ministry of Finance had appointed a committee to look into all aspects of money laundering, and to suggest a suitable legislation to deal with the problem. The Committee is yet to submit its report to the Ministry.

राष्ट्रीयकृत बैंकों में धोखाधड़ी

2444. **श्री रामजीलाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या-क्या हैं, जहां गत दो वर्षों के दौरान धोखाधड़ी की घटनाएं घटी हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अभी तक कितनी धनराशि की वसूली कर ली गई तथा शेष धनराशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा धोखाधड़ी की इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ पी॰ वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) जनवरी, 1995 से सितम्बर, 1996 तक की अवधि के दौरान, सभी 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को 2178 धोखाधड़ियों की सूचना दी गई हैं जिनमें 280.73 करोड़ रु॰ की कुल राशि अन्तर्ग्रस्त है। धोखाधड़ियों के मामले में अन्तर्ग्रस्त राशियां अनिवार्यतः उन वास्तविक घाटों को नहीं दर्शाती हैं जो अंततः बैंकों को हो सकते हैं। आमतौर पर बैंक अपने द्वारा दिए गए अग्रिमों को कवर करने के लिए कुछ प्रतिभूतियां रखते हैं। बैंक सिविल और आपराधिक मुकदमें भी दायर करते हैं और उपयुक्त राहतें पाने का प्रयास करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की आकंड़ा सूचना प्रणाली से धोखाधड़ी के मामले में अन्तर्ग्रस्त राशियों की वसूली से संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं होती है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ियों एवं अनियमितताओं को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण एवं लेखा-परीक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए उपाय किए गए हैं। बोर्ड स्तर की प्रबंध समितियां एवं लेखा परीक्षा समितियां स्थापित की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से यह भी कहा है कि वे अपनी बड़ी और अत्यधिक बड़ी शाखाओं में समवर्ती लेखा-परीक्षक नियुक्त करें, ताकि निर्धारित क्रियाविधियों का अनुपालन न करने का अविलम्ब पता लगाया जा सके और अनियमितताओं और धाखाधड़ियों को रोका जा सके। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों में सतर्कता तंत्र है, तो निवारक एवं पता लगाने संबंधी उपाय करने के लिए

उत्तरदायी हैं, ताकि बैंक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ियों एवं भ्रष्टाचार को रोका जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंकों के आन्तरिक निरीक्षण एवं सतर्कता तंत्र के कार्य संचालन की सतत समीक्षा करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक मार्गनिर्देश भी जारी किए हैं। वह धोखाधड़ी के मामलों की भी लगातार पुनरीक्षा करता है और बैंकों को विशिष्ट मामलों में कार्यप्रणाली तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपेक्षित सुरक्षा, संचालन कार्मिकों को समुचित प्रशिक्षण और धोखाधड़ियों के बड़े मामलों में जांच एवं छानबीन की सलाह देता है। भारतीय रिजर्व बैंक धोखाधड़ी बहुत क्षेत्रों में प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं एवं नियंत्रण व्यवस्थाओं का अचानक निरीक्षण भी करता है। निर्धारित समय अन्तरालों पर किए जाने वाले स्थल पर निरीक्षणों के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्नत पर्यवेक्षण हेतु स्थेलत्तर निगरानी प्रणाली भी बनाई है। वित्तीय प्रणाली का एकीकृत पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य से, सलाहकारी परिषद सहित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) का वर्ष 1994 में गठन किया गया था।

IDBI investment in Andhra Pradesh

2445. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that IDBI has reduced its investment in Andhra Pradesh during 1995-96 and 1996-97;

(b) what was the investment of IDBI in Andhra Pradesh in the current financial year upto 31st January, 1997;

(c) whether it is a fact that IDBI is withdrawing from new industrial activitity; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) The Industrial Development Bank of India (IDBI) has reported that the assistance sanctioned by it to industrial units in Andhra Pradesh increased significantly from Rs. 964.5 crore in 1993-94 to Rs. 1470 crore in 1995-96. However, during the current financial year (April 1996-Janualy 1997), there has been a decline in sanctions and disbursements as compared to the corresponding period of 1995-96.

(b) The assistance sanctioned and disbursed by IDBI to industrial units in Andhra Pradesh in the current financial year (April 1996—January 1997) was Rs. 904.8 crores and Rs. 563.1 crores respectively).

(c) No, Sir. IDBI is contiuning to support financially, economically, commercially viable and technically feasible projects in all States including in Andhra Pradesh.

(d) Do not arise.

Participation of private banks in PMRY

2446. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the participation of private banks in PMRY scheme has been very poor throughout the country;

(b) what are the guidelines of RBI for private banks in this regard;

(c) whether RBI has received complaints about poor performance of private banks under the scheme; if so, the details of complaints received State-wise and the licences cancelled if any; and

(d) what is the role of RBI representatives in the States' capital in this regard and how far they are delegated to take action against erring banks?